10.11.17

पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण होने के कारण प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत।

आवेदक / अभियुक्त रामजीलाल द्वारा श्री अशोक सिंह राणा अधिवक्ता उप0।

> परिवादी विद्युत विभाग द्वारा श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता उप०। प्रकरण क्रमांक 128/12 विद्युत (परिवाद) का मूल अभिलेख प्राप्त।

आवेदक के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—438 दं0प्र0सं0 के साथ आवेदक रामजी लाल द्वारा स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह बताया गया है कि यह आवेदक का प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—438 दं0प्र0सं0 का है। इस प्रकृति का कोई अन्य आवेदन इस न्यायालय, समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न खारिज हुआ है और न ही विचाराधीन है।

आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—438 भां०दं०सं० पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

आवेदक की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि विद्युत मण्डल मौ के द्वारा झूठा प्रकरण इस न्यायालय में संचालित किया था, जिसमें कभी भी पुलिस मौ के द्वारा कोई तामील नहीं कराई गई है। आवेदक के द्वारा एक परिवाद पत्र उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फॉरम भिण्ड में प्रस्तुत किया था, जो प्रकरण कमांक 276/12 पर संचालित होकर दिनांक 28.02.13 को आवेदक के पक्ष में निर्णित किया जाकर विद्युत मण्डल को निर्देशित किया गया कि विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया जाकर आवेदक को दिया गया बिल निरस्त किया जावे तथा आवेदक को मानसिक कष्ट एवं पीड़ा के लिए एक हजार रूपए तथा प्रकरण के वाद व्यय के लिए एक हजार रूपए प्रदान किए जावे। यदि आवेदक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो उसकी छिव धूमिल होगी। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

परिवादी की ओर से घोर विरोध करते हुए आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि परिवाद के अनुसार विद्युत विभाग के द्वारा कनेक्शन काटे जाने के बावजूद भी आवेदक रामजी लाल के द्वारा कनेक्शन अवैध रूप से जोड़ लिया था। विद्युत विभाग के द्वारा 23.05.12 को स्थल पर कार्यवाही की गई तथा दिनांक 08.08.12 को यह परिवाद प्रस्तुत किया है।

यद्यपि आवेदक की ओर से उपभोक्ता प्रतितोषण फॉरम भिण्ड के आदेश दिनांक 28.02.13 की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार इसी कनेक्शन के संबंध में आवेदक के पक्ष में आदेश करते हुए आवेदक को दिए गए 14.05.93 के पश्चात के बिल निरस्त किए गए हैं। परंतु इस न्यायालय में जो परिवाद प्रस्तुत हुआ है, उसका निराकरण गुणदोषों के आधार पर होना है। उक्त परिवाद वर्तमान तक किसी वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। आवेदक / अभियुक्त रामजी लाल के विरुद्ध जो वारंट जारी किया गया है वह इसी न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है। न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के लिए धारा—438 दं0प्र0सं0 के प्रावधान अकर्षित नहीं होते है। आवेदक

न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कार्यवाही कर सकता है।

न्यायालय के द्वारा जारी वारंट के संबंध में आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

इस आदेश की सत्यप्रति प्रकरण क्रमांक 128/12 विद्युत के मूल अभिलेख के साथ संलग्न की जावे।

नतीजा दर्ज करने के बाद यह आदेश पत्रिका एवं प्रपत्र अभिलेखागार में भेजा जावे।

> (मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड

ALIMAN PATERA ALIMAN PATERA PA